तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 48/2024** **सीआईएस संख्या 243/2024** **श्रीमती ऐना शर्मा बनाम श्रीमती मधु पंवार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.25	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीया संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि नियत पेशी पर अधिवक्ता प्रतिवादीया दीगर न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से न्यायालय में उपस्थिति नहीं दे पाये। जिसकी वजह से उक्त एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो कि अनुपस्थिति का सद्भाविक कारण रहा है। प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं मिलने पर प्रतिवादीया के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उसके विरूद्ध अमल में लायी गयी एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादीया की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रतिवादीया के वकालतनामा में 8 अधिवक्ताओं के नाम है। जानबूझकर प्रकरण में देरी करने के आशय से उपस्थिति नहीं दी गयी हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 23.4.2025 को प्रतिवादीया संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। जिसके आगामी पेशी पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जा दिलवाये जाने बाबत पेश किया गया है, जिसमें यदि प्रतिवादीया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो उसके हितों पर कुठाराघात होगा। उल्लेखनीय है कि नियत पेशी वाले दिन उपस्थित होना प्रत्येक पक्षकार का दायित्व है, लेकिन साथ ही अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से प्रतिवादीया संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक हजार रूपये की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रतिवादीया संख्या 3 के विरूद्ध पूर्व में अमल में लायी गयी एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है। प्रतिवादीया संख्या 3 कोस्ट की राशि लिटिगेशन वेलफेयर फण्ड में जमा करवाकर नियमानुसार रसीद न्यायालय में पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हेतु नियत की जाती है। तलवाना पेश होने पर तामील जारी हो। पत्रावली वास्ते देखने तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	